

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

सेवामें,

प्रबन्धक

लार्ड एकेडमी सेकेन्डी स्कूल, हाटा रोड, गौरीबाजार
देवरिया।

पत्रांक: मान्यता/10456-10457/2019--20

दिनांक 01-नवम्बर 2019


विषय: अशासकीय पू0मा0वि0 (नर्सरी से 08तक) की अग्रेजी माध्यम स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में आपके प्राप्त प्रार्थना पत्र के क्रम में अतगत कराना है कि शासनादेशानुसार मान्यता की नयी नियमावली के संदर्भ में निम्न प्राविधान है:—“प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।”

उक्त के क्रम में आपके विद्यालय की जॉच खण्ड शिक्षा अधिकारी से करायी गयी जॉचोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित न होने पर आपको कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रदत्त अस्थायी मान्यता पत्रांक: आदेश सं-परिषद/क0लि0/मान्यता/1970-71/2016-17, दिनांक: 19, मई 2016 के क्रम में आपके विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त अग्रेजी माध्यम विद्यालय के रूप में अधिकृत किया जाता है।

भवदीय



(ओमप्रकाश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।

पू0सं0: /मान्यता/ /2019-20 तददिनांकित।
प्रतिलिपि:—खण्ड शिक्षा अधिकारी, गौरीबाजार, देवरिया को सूचनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
देवरिया।